

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

परिपत्र सं०-02स्था0/01/19 124/ रा.प्र.के.कृ.वि.,

पूसा, दिनांक 22/01/2019

परिपत्र

ऐसा देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक/वैज्ञानिक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी/ पदाधिकारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के नियम के तहत स्वीकृत 10 (दस) दिनों का अवकाश नगदीकरण एवं अवकाश यात्रा रियायत के दौरान उपभोग की गई छुट्टी की कटौती अवकाश लेखा से नहीं की जा रही है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के नियम 7 (2) के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक नियमित छुट्टी यथा अर्जित छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी, प्रसूति छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी/ विशेष आकस्मिक छुट्टी के दौरान अवकाश यात्रा रियायत का उपभोग कर सकते हैं, परन्तु द्वितीय शनिवार/रविवार/ अन्य सार्वजनिक छुट्टी के दौरान नहीं।

केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के नियम 7, GID (16-A) के अनुसार बच्चा देखभाल छुट्टी के दौरान अवकाश यात्रा रियायत का उपभोग नहीं किया जा सकता है।

अतः कोई भी विश्वविद्यालय कर्मचारी जो अवकाश यात्रा रियायत का उपभोग कर चुके हैं या करेंगे उनके 10 (दस) दिनों का अवकाश नगदीकरण के बदले 10 (दस) दिनों का उपार्जित अवकाश की कटौती अवकाश लेखा से केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के नियम 38-A के तहत कर ली जाय। साथ ही अवकाश यात्रा रियायत के दौरान उपभोग की गई छुट्टी के दिनों की कुल संख्या भी केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायत) नियमावली 1988 के नियम 7 (2) के अनुरूप कटौती कर ली जाय।

उदाहरण

यदि कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी 01 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2018 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों के लिए अवकाश यात्रा रियायत का उपभोग किये हैं तो उनके 15 (पंद्रह) दिनों का अर्जित अवकाश (या नियम 7 (2) के अनुसार छुट्टी की प्रकृति जैसा भी हो) एवं 10 (दस) दिनों का अवकाश नगदीकरण के बदले 10 (दस) दिनों का अर्जित अवकाश की कटौती निम्न प्रकार अवकाश लेखा से कर ली जाय।

अर्जित अवकाश लेखा

| | दिनों की संख्या | | |
|---|-----------------|-------|-----------|
| | अर्जित | उपभोग | बकाया/शेष |
| पूर्व से संचित अवकाश | 125 | — | 125 |
| 01.12.2018 से 15.12.2018 तक उपभोग की गई अवकाश यात्रा रियायत | — | 15 | 110 |
| 10 दिनों का अवकाश नगदीकरण | — | 10 | 100 |

कुलपति के आदेश से

 21.1.19

उप कुलसचिव (स्था0)

11/01/2019